

ई.सी.ओ.-11

स्नातक उपाधि कार्यक्रम
(बी.डी.पी.)

सत्रीय कार्य
2020-21

वाणिज्य में ऐच्छिक पाठ्यक्रम
ई.सी.ओ.-11 : आयकर के मूल तत्व

जुलाई 2020 तथा जनवरी 2021 प्रवेश सत्र के लिए



प्रबंध अध्ययन विद्यापीठ
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मैदान गढ़ी, नईदिल्ली-1100 68



प्रबंध अध्ययन विद्यापीठ
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

वाणिज्य में ऐच्छिक पाठ्यक्रम
ई.सी.ओ.-11: आयकर के मूल तत्व

सत्रीय कार्य – 2020-21

प्रिय छात्र/छात्राओं,

जैसा कि कार्यक्रम दर्शिका में स्पष्ट किया गया है, इस कार्यक्रम में आपको प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए एक सत्रीय कार्य करना है। सभी सत्रीय कार्य आपको एक साथ भेजे जा रहे हैं।

अंतिम परीक्षा में सत्रीय कार्य के लिए 30% अंक निर्धारित हैं। सत्रांत परीक्षा में बैठने योग्य होने के लिए यह आवश्यक है कि समय सूची के अनुसार आप इस सत्रीय कार्य को पूरा करके भेज दें। सत्रीय कार्य को करने से पहले आपको चाहिए कि कार्यक्रम दर्शिका में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, जिसे आपके पास अलग से भेजा गया है।

यह सत्रीय कार्य दो प्रवेश सत्र अर्थात् (जुलाई 2020 और जनवरी 2021) के लिए वैध है, इसकी वैधता निम्नलिखित है :-

1. जो जुलाई 2020, में पंजीकृत है उनकी वैधता जून 2021 तक है।
2. जो जनवरी 2021, में पंजीकृत है उनकी वैधता दिसम्बर 2021 तक है।

यदि आप जून सत्रांत परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो इन्हें 15 मार्च तक अवश्य जमा कर दें। यदि आप दिसम्बर सत्रांत परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो आपके लिए आवश्यक है कि आप इसे 15 सितम्बर तक अध्ययन केंद्र के संयोजक के पास जमा कर दें।

अध्यापक जाँच सत्रीय कार्य

पाठ्यक्रम का कोड	:	ई. सी. ओ. -11
पाठ्यक्रम का शीर्षक	:	आयकर कर मूल तत्व
स्त्रीय कार्य का कोड	:	ई. सी. ओ. -11/टी. एम. ए./ 2020-2021
खण्डों की संख्या	:	सभी खण्ड

अधिकतम अंक : 100

सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

1. निवास स्थान आधार पर करदाताओं को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है ? प्रत्येक का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। (20)

2. आय कर अधिनियम के अंतर्गत पूँजी लाभ से आप क्या समझते हैं ? दीर्घकालीन पूँजी लाभ एवं अल्पकालीन पूँजी लाभ की गणना किस प्रकार की जाती है ? (20)

3. मि सुनील की निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर मकान सम्पत्ति की कर-योग्य आय ज्ञात कीजिए : (20)

I.	नगरपालिका मूल्यांकन	3,30,000
II.	उचित किराया	3,60,000
III.	किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत भवन का मानक किराया	3,36,000
IV.	गत वर्ष 2013-14 का न वसूल हुआ किराया (नियम 4 की सभी शर्तें पूरी हो चुकी है)	30,000
V.	गत वर्ष 2019-20 के न वसूल किराये की वर्ष 2013-14 में वसूल की गयी रकम	24,000
VI.	मकान 30,000 प्रति माह किराये पर उठाया	
VII.	वर्ष 2019-20 का न वसूल हुआ किराया	30,000

4. मि अनुप एक सरकारी कर्चारी, के निम्नलिखित आय विवरण से कर - निर्धारण वर्ष 2020-21 की वेतन कर - योग्य आय की गणना कीजिए : (20)

(क)	मूल वेतन	78,000
(ख)	उच्च जीवन - स्तर भत्ता	13,000
(ग)	मनोरंजन भत्ता	11,200
(घ)	सवारी भत्ता	6,000
(ङ)	परिवार भत्ता	6,000
(च)	बोनस लाभ	20,000
(छ)	किराये से मुक्त असूसज्जित मकान, जिसका किराया मूल्य 6,000 प्रति माह है।	
(ज)	अनुप अपनी एक मोटर - साइकिल का प्रयोग निजी तथा कार्यालय दोनों के कार्यों के लिए करता है। नियोक्ता इस हेतु उसे 10,000 प्रदान करता है।	

मि. अनुप प्राप्त मनोरंजन भत्ते का 40% भाग सरकारी अधिकारी के मनोरंजन पर व्यय कर देते है। वह वैधानिक प्रोविडेंट फण्ड में अपने वेतन का 12% अंशदान करते हैं। सवारी भत्ते का 80% कर्तव्य - पालन हेतु व्यय हो गया। उसे 1-4-1980 के पूर्व 250 मासिक मनोरंजन भत्ता मिलता था। सरकारी नियमों के अनुसार मकान का अनुज्ञा शुल्क मूल वेतन के बराबर माना जायेगा।

5. निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ कीजिए। (4X5)

(क)	कृषि आय
(ख)	पेंशन
(ग)	दिखावटी लेन - देन
(घ)	पूँजी लाभ खाता योजना -1988